[2018] 9 एस. सी. आर 412

नरेंद्र कुमार तिवारी एवं अन्य,आदि

प्रति

झारखंड राज्य एवं अन्य आदि

(सिविल अपील संख्या 7423-7429 सन2018)

अगस्त 1,2018

[मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि-दैनिक मजदूर या अनुबंध श्रमिकों का नियमितीकरण-अपीलार्थियों की नियुक्ति झारखंड राज्य द्वारा अनियमित रूप से की गई थी-अपीलार्थियों की याचिका, कि वह 10 साल से अधिक की सेवा कर चुके थे और इसलिए वे नियमितीकरण के हकदार थे-याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई-इसकेअतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने यह विचार भी रखा कि उमादेवी (3) मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अपीलार्थियों को नियमितीकरण की अनुमति नहीं देता क्योंकि उन्होंने अंतिम तिथि, संविधान पीठ द्वारा अपना निर्णय देने की तिथि, 10.04.2006, पर 10 साल तक काम नहीं किया था-निर्धारित किया: उच्च न्यायालय ने उमादेवी (3) के मामले में निर्देशों का अव्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए गलती की-उमादेवी (3) में निर्णय का उद्देश्य और इरादा भविष्य में अनियमित या अवैध नियुक्तियों को रोकना और उन लोगों को लाभ प्रदान करना था जिन्हें अतीत में अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था-उमादेवी (3) वाले निर्णय की भावना पर विचार किये बिना, उसकी सख्त और शाब्दिक व्याख्या से, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि झारखंड राज्य केवल

15.11.2000 से अस्तित्व में आया था और कट-ऑफ तिथि 10.04.2006 के रूप में तय की गई थी-इस प्रकार, नियमितीकरण नियमों की एक व्यावहारिक व्याख्या की जानी चाहिए तथा अपीलार्थीगण को, यदि वें, नियमितीकरण नियमों के लागू होने की तिथि को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं तो, उन्हें उनके द्वारा की गई सेवा का लाभ दिया जाना चाहिये।

अपीलों का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया:

1. **सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य प्रति उमादेवी के मामले में निर्णय का उद्देश्य, अनियमित या अवैध रूप से दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की नियुक्ति और उन्हें अनिश्चित काल तक जारी रखने की, कुछ हद, तक हानिकारक प्रथा पर पूर्ण विराम लगाना था। इसलिए,उमादेवी (3) में निर्णय का उद्देश्य और आशय द्विपक्षीय था, अर्थात् भविष्य में अनियमित या अवैध नियुक्तियों को रोकना और दूसरा, उन लोगों को लाभ प्रदान करना जिन्हें अतीत में अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था।यह तथ्य, कि उमादेवी (3) में निर्णय के बाद झारखंड राज्य द्वारा लगभग एक दशक तक अनियमित नियुक्तियों को जारी रखा गया, एक स्पष्ट संकेत है कि वह यह मानता है कि अनियमित नियुक्तियों को जारी रखना और जब भी आवश्यक हो, अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त करना, सही था कि, उन्हें अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था।यह और कुछ नहीं बल्कि कर्मचारियों को नियमित करने का लाभ न देकर और उनके सिर पर डेमोक्लिस की तलवार लटका कर उनके शोषण का एक रूप है। औरठीक इसी स्थिति से उमादेवी (3) और केसरी ने बचना चाहा।[पैरा 6,8](415-D;417-B-D)**

2. यदि उमादेवी (3) में संविधान पीठ के निर्णय की भावना को भूलकर, एक सख्त और शाब्दिक व्याख्या को ध्यान में रखा जाए, तो झारखंड राज्य के किसी भी अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी को कभी भी नियमित नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह राज्य केवल 15 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया था और कट-ऑफ तिथि 10 अप्रैल, 2006 निर्धारित की गई थी।दूसरे शब्दों में, इस तरह से अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों को जारी रखने की हानिकारक प्रथा ,अनिश्चित काल तक, संविधान पीठ के आशय के विपरीत, बनी रहेगी।[पैरा 9] [417-ई-एफ]3.

3.इन परिस्थितियों में, 2015 के झारखंड नियमितीकरण नियमों की व्यावहारिक व्याख्या की जानी चाहिए और अपीलार्थियों को, यदि उन्होंने नियमितीकरण नियमों के लागू होने की तारीख को 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ दिया जाना चाहिए।यदि उन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उन्हें नियमित किया जाना चाहिए यदि उनके नियमितीकरण पर कदाचार आदि कोई वैध आपत्ति न हो। [पैरा 11]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनामउमादेवी (3)और अन्य। (2006) 4 एससीसी 1:[2006] 3 एससीआर 953;कर्नाटक राज्य में उमादेवी (3) और अन्य प्रति एम. एल केसरी एवं अन्य (2010) 9 एससीसी 247:[2010] 9 एस. सी. आर. 543-संदर्भित।

विधि निर्णय संदर्भ

[2006] 3 एस. सी. आर. 953	**पैरा 3**	
[2010] 9 एस. सी. आर. 543	**पैरा 5**	**को संदर्भित**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7423-7429 सन 2018

डब्ल्यू. पी. में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय राँची द्वारा,

रिट याचिका सँ.(एस)4019/2015,4021/2015,4126/2015,4127/2015,1512/2016,1530/2016 और 1932/2016 में पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध

राणा मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, कुमार अनुराग सिंह, कुमार शिवम, सुश्री स्तुति वत्स, सुश्री तुलिका मुखर्जी, गोपाल प्रसाद, अधिवक्ता: उपस्थित पक्षकारों की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय न्याय. मदन बी लोकुरद्वारा दिया गया

न्याय.मदन बी. लोकुर, : 1.अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें विभिन्न पदों पर दैनिक मजदूरी या अनुबंध श्रमिकों के नियमितीकरण से संबंधित रिट याचिकाओं के एक समूह में झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17 नवंबर, 2016 के सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं।रिट याचिकाकर्ताओं (अब अपीलकर्ताओं) को, झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवम कार्यरत कर्मियो की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (आगे, नियमितीकरण नियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों को देखते हुए नियमितीकरण के लाभ से वंचित कर दिया गया था।

3. स्वीकृत स्थिति यह है कि, अपीलार्थीगण, राज्य सरकार के अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं।उन्होंने इस आधार पर अपनी स्थिति को नियमित करने की मांग की कि उन्होंने 10 साल से अधिक की सेवा की है और इसलिए वे नियमित होने के हकदार हैं।उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य प्रति उमा देवी(3) एवं अन्य में, इस न्यायालय

की संविधान पीठ का निर्णय उन्हें नियमित करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि उन्होंने 10 अप्रैल, 2006 की कट-ऑफ तिथि, जब संविधान पीठ ने अपना निर्णय दिया था, पर 10 साल तक काम नहीं किया था। उच्च न्यायालय के अनुसार, नियमितीकरण नियमों ने संविधान पीठ के फैसले के संदर्भ में 10 अप्रैल, 2006 की कट-ऑफ तिथि के आधार पर अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का केवल एक बार का उपाय प्रदान किया।इसलिए, चूंकि अपीलार्थियों ने 10 साल की सेवा नहीं दी थी, इसलिए उन्हें नियमित नहीं किया जा सका।

4. अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर, 2000 को ही किया गया था और इसलिए कोई भी ,झारखण्ड राज्य सेवा में, कट ऑफ तिथि, 10 अप्रैल 2006 को,10 साल की सेवा पूरी नहीं कर सकता था। इसलिये, किसी को भी नियमितीकरण नियमों का लाभ नहीं मिल सका, जिसने पूरी विधायी प्रक्रिया को पूरी तरह से अर्थहीन बना दिया।अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय में बताया था कि राज्य ने 18 जुलाई, 2009 और 19 जुलाई, 2009 को प्रस्ताव जारी किए थे, जिसमें राज्य के कुछ कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति दी गई थी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से राज्य में 10 साल की सेवा पूरी नहीं की थी। परिणामस्वरूप, यह तर्क किया गया कि अपीलार्थियों के साथ, बिना उनकी गलती के, और तर्कहीन तरीके से भेदभाव किया गया था।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, और उमादेवी (3) में संविधान पीठ के निर्णय तथा उमा देवी की व्याख्या करने वाले, उसके बाद के निर्णय, कर्नाटक राज्य एवं अन्य प्रति एम एल केसरी एवं अन्य के अवलोकन के उपरांत हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने उमादेवी (3) के निर्देशों के साथ-साथ केसरी में उस की व्याख्या को अव्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने मे गलती की है।

6. उमादेवी (3) में निर्णय का उद्देश्य, अनियमित या अवैध रूप से दैनिक मजदूरी श्रमिकों की नियुक्ति और उन्हें अनिश्चित काल तक जारी रखने की कुछ हद तक हानिकारक प्रथा पर पूर्ण विराम लगाना था।वास्तव में, रिपोर्ट के पैराग्राफ 49 में, यह बताया गया था कि कानून के शासन के लिए संवैधानिक तरीके से नियुक्तियां करना आवश्यक है और राज्य को सार्वजनिक रोजगार के मामले में अनियमितता को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी जिन्हें संवैधानिक योजना के संदर्भ में नियोजित किया जा सकता है।यही कारण है कि एकमुश्त उपाय और एक कट-ऑफ तिथि की अवधारणा इस आशा और उम्मीद में पेश की गई थी कि राज्य अनियमित या अवैध नियुक्तियां करना बंद कर देगा और इसके बजाय नियमित आधार पर नियुक्तियां करेगा।

7. रिपोर्ट के पैराग्राफ 9,10 और 11 में केसरी में 'एक बार के उपाय' की अवधारणा को आगे समझाया गया था जो इस प्रकार हैः"9. "एकमुश्त उपाय" शब्द को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझना होगा।आम तौर पर इसका मतलब यह होगा कि उमादेवी (3) में निर्णय के बाद, प्रत्येक विभाग या राज्य के प्रत्येक उपकरण को एक बार की कवायद शुरू करनी चाहिए और उन सभी आकस्मिक, दैनिक वेतन या तदर्थ कर्मचारियों की एक सूची तैयार करनी चाहिए जो, अदालतों और न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना, दस साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उन्हें प्रक्रिया के आधीन एक सत्यापन करना चाहिए कि क्या वे खाली पदों के सापेक्ष काम कर रहे हैं और पद के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं, और यदि ऐसा है, तो उनकी सेवाओं को नियमित करें।

10. उमादेवी (3) में निर्णय की तारीख से छह महीने के बाद भी, कई दैनिक वेतन/तदर्थ/आकस्मिक कर्मचारियों के मामले अभी भी अदालतों के समक्ष लंबित थे। परिणामस्वरूप,कई विभागों और उपकरणों ने एक बार नियमित करने की

प्रक्रिया शुरू नहीं की।दूसरी ओर, कुछ सरकारी विभागों या उपकरणों ने एक बार की कवायद शुरू की, जिसमें कई कर्मचारियों के विषय में, इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि उनके मामले अदालतों में लंबित थे या केवल चूक हो जाने के कारण।ऐसी परिस्थितियों में, जो कर्मचारी उमादेवी (3) में निर्णय के पैरा 53 के संदर्भ में विचार किए जाने के हकदार थे, वे नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने का अपना अधिकार , केवल इस आधार ओर नहीं खोएंगे, कि उनके मामलों पर विचार किए बिना एक बार की कवायद पूरी हो गई थी, या इसलिए कि उमादेवी (3) के पैरा 53 में उल्लिखित छह महीने की अवधि समाप्त हो गई है।एक बार की कवायद में उन सभी दैनिक-वेतन/तदर्थ/आकस्मिक कर्मचारियों पर विचार किया जाना चाहिए जिन्होंने अदालतों या न्यायाधिकरणों के किसी भी अंतरिम आदेश के संरक्षण का लाभ उठाए बिना 10 साल की निरंतर सेवा दी थी।यदि किसी नियोक्ता ने उमादेवी (3) के पैरा 53 के संदर्भ में एक बार की कवायद की थी, लेकिन कुछ कर्मचारियों के मामलों पर विचार नहीं किया था जो उमादेवी (3) के पैरा 53 के लाभ के हकदार थे, तो संबंधित नियोक्ता को उनके मामलों पर भी एक बार की कवायद की निरंतरता के रूप में विचार करना चाहिए।एक बार की कवायद तभी पूरी होगी जब उमादेवी (3) के पैरा 53 के संदर्भ में विचार किए जाने के हकदार सभी कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा।

11. उमादेवी (3) के पैरा 53 में उक्त निर्देश के पीछे दोहरा उद्देश्य है,पहला, यह सुनिश्चित करना कि जिन लोगों ने उमादेवी (3) में निर्णय की तारीख से पहले अदालतों या न्यायाधिकरणों के किसी भी अंतरिम आदेश के संरक्षण के बिना दस साल से अधिक समय तक निरंतर सेवा की है, उनकी लंबी सेवा को देखते हुए उन्हें नियमित करने पर विचार किया जाय,दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि विभाग/उपकरण लंबे समय तक दैनिक वेतन/तदर्थ/आकस्मिक आधार पर व्यक्तियों को नियुक्त करने की प्रथा को कायम न रखें और फिर

समय-समय पर उन्हें इस आधार पर नियमित करें कि उन्होंने दस साल से अधिक समय तक सेवा की है, जिससे भर्ती और नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान विफल हो जाते हैं।इस निर्देश का वास्तविक प्रभाव यह है कि वे सभी व्यक्ति जिन्होंने किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी अंतरिम आदेश के संरक्षण के बिना 10-4-2006 [उमादेवी (3) में निर्णय की तारीख] पर दस साल से अधिक समय तक काम किया है, रिक्त पदों पर, जिनके पास आवश्यक योग्यता है, नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं।यह तथ्य कि नियोक्ता ने उमादेवी (3) में निर्णय के छह महीने के भीतर नियमितीकरण की ऐसी कवायद नहीं की है या ऐसी कवायद केवल कुछ सीमित लोगों के संबंध में की गई थी, ऐसे कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए उमादेवी (3) में उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में एक बार के उपाय के रूप में विचार किए जाने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा।"

8. उमादेवी (3) में निर्णय का उद्देश्य और इरादा दोहरा था, अर्थात्, भविष्य में अनियमित या अवैध नियुक्तियों को रोकना और दूसरा, उन लोगों को लाभ प्रदान करना, जिन्हें अतीत में अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था।यह तथ्य कि उमादेवी (3) में निर्णय के बाद झारखंड राज्य ने लगभग एक दशक तक अनियमित नियुक्तियों को जारी रखा, एक स्पष्ट संकेत है कि वह यह मानता है कि अनियमित नियुक्तियों को जारी रखना और जब भी आवश्यक हो, अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त करना सही था, कि उन्हें अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था।यह और कुछ नहीं बल्कि कर्मचारियों को नियमित करने का लाभ न देकर और उनके सिर पर डेमोक्लिस की तलवार लटकाकर उनके शोषण का एक रूप है।ठीक इसी बात से उमादेवी (3) और केसरी ने बचना चाहाथा।

9. यदि उमादेवी (3) में संविधान पीठ के निर्णय की भावना को भूलकर एक सख्त और शाब्दिक व्याख्या को ध्यान में रखा जाए, तो झारखंड राज्य के

किसी भी अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी को कभी भी नियमित नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह राज्य केवल 15 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया था और कट-ऑफ तिथि 10 अप्रैल, 2006 निर्धारित की गई थी।दूसरे शब्दों में, इस तरह से, अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों को अनिश्चित काल तक जारी रखने की हानिकारक प्रथा, संविधान पीठ के इरादे के विपरीत, बनी रहेगी।

10. उच्च न्यायालय के साथ-साथ झारखंड राज्य को भी पूरे मुद्दे पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए था न कि केवल राज्य के हित, वित्तीय या अन्य के दृष्टिकोण से अपितु कर्मचारियों के हित को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।झारखंड राज्य ने अंततः जो हासिल किया है वह नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया को शॉर्ट सर्किट करना और इसके बजाय अनियमित आधार पर नियुक्तियां करना है।यह शायद ही सुशासन है।

11. इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि नियमितीकरण नियमों की व्यावहारिक व्याख्या की जानी चाहिए और अपीलार्थियों को, यदि उन्होंने,नियमितीकरण नियमों के लागू होने की तिथि को 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो उन्हें उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ दिया जाना चाहिए।यदि उन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उन्हें नियमित किया जाना चाहिए जब तक कि उनके नियमितीकरण पर, कदाचार आदि ,कोई वैध आपत्ति न हो।

12. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को, हमारे निष्कर्षों को देखते हुए, अपास्त कर दिया गया है।राज्य को अपीलार्थियों की स्थिति को नियमित करने पर आज से चार महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

13. अपीलों तदनुसार निस्तारित की जाती हैं।

14. इस केअतिरिक्त, हम यह कह सकते हैं कि झारखंड राज्य के लिए यह सार्थक होगा कि वह अब से केवल नियमित नियुक्तियां करने पर विचार करे और नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया को शार्ट सर्किट करने के लिए अनियमित नियुक्तियां करने के विचार को छोड़ दे।

अपीलों का निस्तारण किया गया।

1 (2006) 4 एससीसी 1 415

2 (2010) 9 एससीसी 247